ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग-एक

1. (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1	श्रीमति प्रोमिला देवी	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति कमलेश कुमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1	श्री मनोज कुमार	1-4-2013 से 25-4-2014
2	श्री राजीब कुमार	26-4-2014 से 3-7-2015
3	श्री दिनेश कुमार	4-7-2015 से 9-10-2015
4	श्री सोनीपाल	10-10-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चलेट के लेखाओं अवधि 01.04. 2013 से 31.03. 2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि लाखों में**
1	पैरा 7(3)	गृहकर राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन	0.11
2	पैरा 8	अत्याधिक हस्तगत राशि शेष बारे	-
3	पैरा 9	गृहकर विलम्ब से रोकड़ वही में दर्ज करना	0.07
4	पैरा 11	अनुदान उपयोग न करना	16.24
5	पैरा 12	प्राप्त अनुदानों की राशि का अधिक व्यय	0.67

6	पैरा 13(क)	सीमेंट का गलत भुगतान/संदिग्ध दुर्विनियोजन	0.42
7	पैरा 13 (ख)	सीमेंट राशि का दुर्विनियोजन करना	0.02
8	पैरा 16	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	1.27
9	पैरा 17	मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	3.82

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चलेट , विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 4/2/2017 से 8/2/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए माहों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	1/2014	12/2013
2014-15	1/2015	12/2014
2015-16	2/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चलेट , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2017 दिनांक 8-2-2017 द्वारा अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित के बैंक ड्राफ्ट संख्या 333626 दिनांक 18-2-2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चलेट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) **<u>स्वः स्त्रोत:-</u>** ग्राम पंचायत चलेट के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	175784.55	253598.00	429382.55	181188.50	248194.05
2014-15	248194.05	139901.00	388095.05	36943.50	351151.55
2015-16	351151.55	222385.00	573536.55	30721.00	542815.55

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत चलेट के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	830194.85	2439255.00	3269449.85	2823874.0	445575.85
2014-15	445575.85	1196696.00	1642271.85	621516.00	1020755.85
2015-16	1020755.85	1991158.00	3011913.85	1387924.0	1623989.85

5 बैंक समाधान विवरणी:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चलेट द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹18600.40 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹542815.55

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹1623989.85

योग ₹2166805.40

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	20014009475	**2083150**
2	के.सी.सी.बी. दौलतपुर चौक	**50050267724**	**5193**
3	पी. एन. बी. दौलतपुर	**3957000300034846,**	**59438**
			2147781.00
		<u>Cash in hand</u>	
		GENERAL CASH BOOK	**424**
		MNREGA	00
		IAY	00
		<u>TOTAL</u>	**<u>2148205.00</u>**

अंतर ₹2166805.4 (-) ₹2148205.00= ₹18600.40

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.23 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव चलेट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि ₹22800 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	16200	87500	103700	76650	27050
2014-15	27050	43750	70800	1050	69750
2015-16	69750	43750	113500	90700	22800

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

3. गृहकर राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन ₹0.11 लाख

ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर ₹42100 की बसूली दिनांक 16-1-2014 से 30-1-2014 तक की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (2)** पर सलंग्न है परन्तु बैंक में मात्र ₹31300/- जमा करवाए गये जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्र. संख्या	दिनांक	बैंक में जमा की राशि
1.	16-1-2014	8300
2	20-1-2014	23000
	कुल योग	**31300**

अत: बैंक में ₹10800 कम जमा करवाए गये जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि को बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण खंड विकास अधिकारी गगरेट, जिला ऊना के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8 अत्यधिक हस्तगत राशि शेष बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत नगद राशि मात्र एक हजार तक अपने पास रखी जा सकती है। ग्रांम पंचायत द्वारा इ न नियमों की अवहेलना की है तथा निर्धारित दर से अधिक राशि हस्तगत रखी गयी जिसका विवरण इस प्रकार है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर अंकुश लगाया जाये।

दिनाकं	नगद शेष राशि
22-7-2013	7901
23-7-2013	7901
24-7-2013	7671
25-7-2013 to 30-7-2013	7063
31-7-2013 to 6-8-2013	1363
7-8-2013 to 21-8-2013	1255
22-8-2013 to 30-8-2013	11415
31-8-2013 to 8-9-2013	11515
9-9-2013 to 20-9-2013	12365
21-9-2013 to 23-9-2013	21841
24-9-2013 to 21-10-2013	14065
25-3-2014 to 28-3-2014	4135
29-3-2013 to 31-3-2014	1929

9 गृहकर ₹7400 को विलम्ब से रोकड़ वही में दर्ज करना

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार गृहकर के रूप में प्राप्त ₹7400 को लगभग दो माह के उपरान्त दिनांक 25-7-2013 रोकड़ वही में दर्ज किया गया तथा राशि को बैंक में जमा करवाने की अपेक्षा इस राशि के विरुद्ध भुगतान वाउचर दर्शाए गये जो कि नियमों के विरुद्ध है। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

रसीद सं. से	तक	दिनांक	रसीद	दर	राशि
696901	696903	8-5-2013	3	100	300
696906	696911	13-5-2013	13	100	1300
696913		18-5-2013	1	100	100
696914	696953	24-5-2013	40	100	4000

696954	696958	28-5-2013	6	100	600
696959	696963	29-5-2013	5	100	500
696964	696965	30-5-2013	2	100	200
696973		14-6-2013	1	100	100
696978	696980	4-7-2013	3	100	300
			कुल योग		**7400**

10 गृहकर ₹800 को बैंक में जमा न करवाना:-

निम्न रसीदों के विरुद्ध दर्शाई तथा वसूली गई गृहकर की राशि को न तो रोकड़ वही में दर्ज किया गया और न ही इसे बैंक में जमा करवाया ग या। अत: राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

रसीद सं.	**दिनांक**	**विवरण**	**प्राप्त राशि**
696904	8-5-2013	गृहकर	100
696966	11-6-2013	गृहकर	100
696967	13-6-2013	गृहकर	100
696977	4-7-2013	गृहकर	100
696995	18-1-2014	गृहकर	50
696996	18-1-2014	गृहकर	50
696997	18-1-2014	गृहकर	50
696998	18-1-2014	गृहकर	50
696999	18-1-2014	गृहकर	50
696700	18-1-2014	गृहकर	50
698248	18-1-2014	गृहकर	50
698547	20-1-2014	गृहकर	50
		कुल योग	800

11 अनुदान ₹16.24 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1623989 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

12 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.67 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार SFC,MPLAD,11TH FC,MMGPY,FLOOD RELIEF, RGPSA में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹66981 ऋणआत्मक दर्शाई गयी है जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SFC,MPLAD,11TH FC,MMGPY,FLOOD RELIEF, RGPSA में अथवा किसी अन्य योजना से SFC,MPLAD,11TH FC,MMGPY,FLOOD RELIEF, RGPSA का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1 SFC	4662
2 MPLAD	39046
3.11TH FC	2182
4.MMGPY	129
5 FLOOD RELIEF	358
6 RGPSA	20604
योग	**66981**

13 सीमेंट का ₹0.42 लाख का गलत भुगतान/संदिग्ध दुर्विनियोजन

सामान्य रोकड़ वही के भुगतान वाउचर संख्या 1 मास 4/2013 के द्वारा ग्राम पंचायत ने सभा निधि से 200 बैग हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से दिनाँक 3-4-2013 को क्रय किये गए और वाटर शेड कार्य के जारी किए गए दर्शाए गये हैं। उपरोक्त सीमेंट को न तो भंडार रजिस्टर में दर्ज किया गया और न ही मूल बिल अभिलेख में उपल्ब्ध था। मूल बिल के स्थान पर हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के बिल संख्या 0199987 दिनांक 3-4-2013 की छायाप्रति लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-2016 तक वाटर शेड का कोई भी अनुदान ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए राशि के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: खंड विकास अधिकारी उचित जांच कर राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करे।

13.1 सीमेंट ₹2340 का दुर्विन्योज्न करना

ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट भंडार रजिस्टर का रख रखाव मास 4/2014 से शुरू किया गया परन्तु निम्नानुसार क्रय किये गये सीमेंट जो कि उक्त अवधि से पूर्व का है रोकड़ वही में ही उसे विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी किया गया है उसमे 10 बैग न तो जारी किये गये और न ही उन्हें स्टाक में लिया गया जिसका विवरण इस प्रकार है !

दिनांक	सीमेंट प्राप्त	सीमेंट जारी करना	शेष सीमेंट
29-5-2013	200	-	-
1-6-2013	-	100	100
10-6-2013	15 (वापिस प्राप्त)	-	115

16-7-2013	-	45	70
5-9-2013	-	20	50
5-9-2013	-	20	30
12-9-2013	100	100	30
28-12-2013	140	-	170
31-12-2013	-	20	150
12-1-2014	-	140	10
13-2-2014	100	-	110
13-2-2014	-	100	10

उपरोक्त सीमेंट के 10 बैग जिसका मूल्य 234 प्रति बैग के हिसाब से ₹2340 बनता है की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 निविदाओं के बिना क्रय करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गयी निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर, बजरा इत्यादि का क्रय बिना निविदाओं के किया गया है जिसके अभाव में दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना निविदाओं के क्रय करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गये जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

16 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय ₹1.27 लाख की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** में

दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**126879** के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व उपयोग संबन्धित अभिलेख तैयार करके आगामी लेखा परीक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹381545 का भुगतान के मूल्यांकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

18 मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार "परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (3)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है । अत: इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही कर निर्धारित इकाई में ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

19 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

पंचायत चलेट द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोलॉ को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

22 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 23/2017–खण्ड–1– 2272–2775 दिनाँकः 22.05.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881